

अपील संख्या 373/2017
अनवान
रामजीवन बनाम सायरीदेवी वगैरा

दिनांक 25-11-2019

वकील अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित है । अपीलांट अधिवक्ता को वर्तमान अपील के रेस्पोंड के सम्मन सही पते के पुनः पेश करने हेतु बार-बार हिदायत दी जाती रही है परंतु अपीलांट अधिवक्ता द्वारा पालना नहीं की जा रही है। ऐसे में अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील अदम पैरवी **Non Compliance** में खारीज की जाती है । पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नंबर से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लोटाया जाये । निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया ।

